

श्रीमती अरूणा देवी, माननीया स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं.-17/14/2433 से
उद्भूत आश्वासन संख्या- 447/2025 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
1.	क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत सकरी सिंचाई योजनान्तर्गत दायां मुख्य नहर से निःसृत बेल्धा वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य कराया जा रहा है;	<p>वस्तुस्थिति यह है कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> सकरी सिंचाई योजनान्तर्गत दायां मुख्य नहर से निःसृत बेल्धा वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर है। बेल्धा वितरणी की लम्बाई अन्वेषण प्रतिवेदन के अनुसार 7.00 कि०मी० है, जिसमें पूर्व में 5.29 कि०मी० तक ही नहर का निर्माण कराया गया था। इसके आगे 1.71 कि०मी० (5.29 कि०मी० से 7.00 कि०मी०) तक पूर्व में कोई नहर निर्माण नहीं कराया गया था तथा नहर के 1.71 कि०मी० में पूर्व में भू-अर्जन भी नहीं किया गया था। विदित है कि विषयांकित नहर का निर्माण लगभग वर्ष 1961 में किया गया था। 	बेल्धा वितरणी के बचे हुए भाग पर पुनर्स्थापन कार्य, नहर के 5.29 कि०मी० से निःसृत नहर / पईन में ही कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि बेल्धा वितरणी की कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० में से 5.29 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य कराकर शेष कार्य दो वर्षों से छोड़ दिया गया है;		
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजना को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?	<ul style="list-style-type: none"> उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 5.29 कि०मी० में दाहिने तरफ एक पईन निकलती है, जिसके माध्यम से आहर होते हुए बेल्धा गांव तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाती है। बेल्धा वितरणी के बचे हुए भाग पर पुनर्स्थापन कार्य, नहर के 5.29 कि०मी० से निःसृत नहर / पईन में ही कार्य कराकर योजना को समाप्त करा लिया जायेगा। 	

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०७-०३ / २०२५

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक-1683 दिनांक-03.07.2025 के आलोक में आश्वासन सं०-447 / 25 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०७-०३ / २०२५

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०७-०३ / २०२५

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल-०३, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०७-०३ / २०२५

पटना / दिनांक : 15/4/26

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई०टी० सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



15/4/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव